

## न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 298/2021

दायर दिनांक 12.11.2021



## वादी

1. रामदेव पुत्र किशनाराम  
जाति जाट निवासी  
डिकावा, तहसील डीडवाना  
जिला नागौर राज0।

## प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।
2. शाखा प्रबन्धक-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,  
शाखा डीडवाना।

दावा बाबत  
रेकॉर्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा- 136 L.R.Act.

## उपस्थित:-

1. श्री हरफुल राव वकील वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक 28.04.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वादी के खातेदारी का खेत खसरा सं0 631 रकबा 0.0800 हैक्टे0 वाकै सरहद डीकावा, पटवार क्षेत्र निम्बी कलां, भू-अभि0 नि0 क्षेत्र निम्बी कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि अभी वर्तमान में आये सेटलमेन्ट अधिकारियों ने वादी के उक्त खेत खसरा सं0 631 रकबा 0.0800 हैक्टे0 भूमि कि किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज कर दी जो नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है जबकि मार्क ए से बी किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर कभी नहीं था।

यह है कि राजस्व रेकॉर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलती से सहवन से उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज कर नजरी नक्शा में मार्क ए से बी गलत रास्ता दर्ज कर दिया। जबकि भौतिक रूप से ऐसा कोई रास्ता मौके पर नहीं है तथा ना ही कभी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज था। उक्त भूमि वादी की कृषि भूमि रही है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त रहा है। उक्त भूमि की किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज होने पर वादी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है व मुझे भविष्य में परेशानी होने की आशंका है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार से है :-

1. यह है कि खसरा सं0 631 रकबा 0.0800 हैक्टे0 भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता जो नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया हुआ है को हटाया जाकर वादी की कृषि भूमि राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। इस आशय की डिक्री वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध जारी की जावें।
2. यह है कि अन्य कोई उचित अनुतोष हो वादी के हित व लाभ को हो कि डिक्री भी वादी के पक्ष में जारी करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं0 02 को डिलीट करने का प्रार्थना-पत्र पेश किया। जिसे स्वीकार किया जाकर प्रति0 सं0 02 को डिलिट किया जाता है। प्रतिवादी 01 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।


पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।



सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)


—:आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम डीकावा के खसरा सं० 631 रकबा 0.0800 हैक्टे० भूमि की किस्म गै०मु० रास्ता जो नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया हुआ है को हटाया जाकर वादी की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
R.A.S.  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नवसौर)  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को सरे इजलास में सुनाया

गया।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
R.A.S.  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नवसौर)  
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 298/2021

दायर दिनांक 12.11.2021

वादी  
1. रामदेव पुत्र किशनाराम जाति  
जाट निवासी डिकावा,  
तहसील डीडवाना जिला  
नागौर राज0।

प्रतिवादीगण  
बनाम्  
1. तहसीलदार डीडवाना।  
2. शाखा प्रबन्धक-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,  
शाखा डीडवाना।

दावा बाबत  
रेकॉर्ड दुरुस्ती  
अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनांक 28.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफुल राव वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम डिकावा के खसरा सं0 631 रकबा 0.0800 हैक्टे0 भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता जो नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया हुआ है को हटाया जाकर वादी की कृषि भूमि राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिक्ॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....  
.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.04.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
डीडवाना  
नागौर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर  
डीडवाना  
नागौर